

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(आर.सी.ढेनवाल, आई०ए०एस० द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या

07 / 2019

रेवती देवी डासवानी पत्नि स्व० चंचल कुमार डासवानी गली नम्बर 5 सिन्धी
कालोनी निवाई जिला-टोंक राज०

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा) कलक्ट्रेट टोंक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 15.04.2019

अपील अपीलाण्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना भिजवाने हेतु निवेदन किया।

प्रार्थीया रेवती देवी डासवानी पत्नि स्व० चंचल कुमार डासवानी मीसा एवं डी. आई.आर. पेंशन हेतु विचाराधीन प्रकरण में 1-माननीय संयुक्त शासन सचिव सामान्य प्रशासन ग्रुप-6 के द्वारा महोदय को प्रेषित पत्रांक प.3(3) सा.प्र./2008/पार्ट दिनांक 31-12-2018 के पत्र क अनुसार की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रति 2-सामान्य प्रशासन के पत्र क्रमांक 31-12-2018 के पश्चात महोदय द्वारा की गई कार्यवाही की सत्यापित प्रति।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में उक्त सूचना प्राप्त नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा) कलक्ट्रेट टोंक के विरुद्ध दिनांक 19-3-2019 को अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुई। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा) कलक्ट्रेट टोंक को पत्र क्रमांक 256 दिनांक 4-4-2019 द्वारा जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा) कलक्ट्रेट टोंक ने पत्र क्रमांक 5480 दिनांक 8-3-2019 से जवाब प्रेषित किया है कि संयुक्त शासन सचिव सामान्य प्रशासन ग्रुप-6 विभाग के पत्र पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना आवेदक को पत्र क्रमांक 1959 दिनांक 1-3-2019 एवं पत्रांक 10324 दिनांक 24-12-2018 की प्रति के साथ रजि० डाक से भिजवादी गई थी। जवाब के साथ प्रति प्रेषित की गई है। प्रकरण में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी (न्याय शाखा) कलक्ट्रेट टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(आर.सी.ढेनवाल)

जिला कलेक्टर एवं

प्रथम अपील अधिकारी टोंक